

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,
पटना-17

सेवा में
प्राचार्य/प्राचार्या
बिहार शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,
मधुपुर, मधुबनी।

पटना, दिनांक 10/05/2019

विषय : सी.एल.एड. कोर्स संभालना हेतु सम्बद्धता (Affiliation) प्रमाण किये जाने के संबंध में।

सम्बन्धित विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि क्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मु. 1974 जे.डी.सी. को भ्रमण क्र. DICE-245 & 8/D.E.Ed/2017/54949, दिनांक 09.11.2017 द्वारा प्रेषण किये गये मान्यता व परिशिष्ट में एन. विद्यालय विद्यालय परीक्षा समिति अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन सम्बद्धता मान्यता व परिशिष्ट (विनियमावली-2018 के आशोक में संशोधन के स्वतंत्र निर्देशों) के अन्तर्गत प्रमाणित किया गया है कि प्रमाणित मान्यता व परिशिष्ट में प्रतिवेदित शा. / महावि. एवं विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन सम्बद्धता मान्यता व परिशिष्ट (विनियमावली-2018 के अन्तर्गत विनियमित शा. / महावि. के साथ सम्बद्धता प्रमाणित कर-की अनुमति दी गयी है -

1. संस्था द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा सुलेखन, 2014 में निर्धारित मानकों एवं मान्यताओं व अनुपालन करना आवश्यक होगा।
2. महाविद्यालय को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद सुलेखन 2014 के परिशिष्ट-2 अनुसूची-22 (अ) में परिशिष्ट प्राचर्याना यथा प्रत्येक वर्ष में दो दो दिनों का कार्य दिवस समय एवं कक्षा आदि का पालन किया जाना आवश्यक होगा तथा यह अवधि चरमोत्सव एवं परीक्षा कार्य में व्यतित की गयी अवधि के प्रतिरुद्ध होगी।
3. महाविद्यालय को नामांकन एवं पंजीयन के संबंध में माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा College of professional education एवं Maa Vajshino Devi Mahila Mahavidyalay बनाम उच्चतम न्यायालय एवं अन्य के निर्णयों पर विचारित न्यायादेश को सुनना (2013) 2 SSC 721 एवं (2013) 2 SSC 817 में प्रकाशित कठिका 91 1, 91 के साथ कठिका-2 में दिये गये निर्देश के आशोक में निर्धारित मानकों को पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
4. यदि महाविद्यालय द्वारा नामांकन एवं कोर्स प्रारंभ करने हेतु माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा निर्धारित संधि-सीमा का पालन किया जाता है अथवा विनियमावली में निर्धारित वर्ष संभालना प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 200 दिनों का कार्य दिवस नहीं करती है तो वैसी स्थिति में समिति द्वारा महाविद्यालय को परीक्षा व वित्त का सम्बद्धता एवं करवाई की जाएगी ऐसी स्थिति में महाविद्यालय अथवा शिक्षार्थी ही संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होने का हक अनुभवा नहीं होगा।
5. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों को समय-समय पर पदाधिकारियों/विशेषज्ञों व माध्यम से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना हेतु सहमत होगी।
6. संस्था द्वारा प्रतिवर्ष अपने कार्य-व्यय से संबंधित अकेक्षण प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराया जाएगा।
7. संस्था विधिवत रूप से मानक के अनुसार नियुक्त एवं कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों व माध्यामिक विभाग का सुव्यवहार बैंक के माध्यम से करेगी एवं उसके संबंधित निधि कटौती का विवरण सहायित करेगी।
8. नियुक्त किये गये शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों के एवं समाप्त करने सम्बन्धित हठको जान क सम्बन्धित सूचना संस्था समिति को ही जाएगी एवं उक्त पर निर्णयित नियमानुसार शीघ्र की जाएगी।

Ahuk

Principal

Madhepur Teachers Training College, Madhepur

Ahuk

Principal

Madhepur Teachers Training College, Madhepur

- संस्थान कि किसी भी प्रकार का परिवार / संस्थान प्राप्त होने पर जाँचोपरांत आरोप प्रमाणित होने पर सम्बन्धता यह करते हुए मान्यता रद्द करने की अनुमति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से की जाएगी।
10. प्रतिवर्ष नामांकन सुनिश्चित करने के उपरान्त संस्थान द्वारा एक प्रमाण-पत्र समिति को उपलब्ध कराया जाएगा कि नामांकित बच्चों का प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानक के आधार पर है एवं इनका सत्यापन निर्गत करनेवाले संस्थान संस्थान से करा लिया गया है।
 11. प्रमाण-पत्र समिति का नियमानुसार गठन कर सदस्यों की सूची समिति को उपलब्ध करायी जाएगी।
 12. महाविद्यालय के खाली का संचालन प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य अथवा प्राचार्या एवं वरीय व्याख्याता के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।
 13. जब कभी भी जरूरी होगा संस्थान को समिति अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को प्राप्तकारी अथवा दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे तथा कोई भी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाया भी सम्बन्धन की शर्तों का उल्लंघन समझा जाएगा।
 14. संस्थान को ऐसे रिकॉर्ड, रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज जो किसी शैक्षणिक संस्थान पढ़ाने के लिए अनिवार्य हैं, रखने होंगे।
 15. संस्थान निर्धारित प्रपत्र में अभिवार्य प्रकटन का बालन करेगा तथा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अध्यापन जानकारी प्रदर्शित करेगा। समिति द्वारा समय-समय पर इसकी जांच की जाएगी एवं ऐसा नहीं किया जाना सम्बन्धन की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।
 16. यदि किसी संस्थान को पूर्व / वर्तमान से संबन्धित बी.एच. कोर्स की मान्यता सम्बन्धता समाप्त की जाती है तो बी.एच. कोर्स को सम्बन्धता रखा समायोजित की जाएगी।
 17. संस्थान द्वारा मानांकन लेने से पूर्व सभी संकाय सदस्यों की नियुक्ति एवं योगदान के साथ उनके बैंक खाते को आधार नम्बर से सम्बन्ध करवाया सुनिश्चित करेगा।
- अतः आदेशानुसार उपरोक्त शर्तों के साथ आपसे सम्बन्धन का शैक्षणिक सत्र 2018-2019 से 02 यूनिट (100) प्रतिशतपाठियों को दो वरीय बी.एच.एच. कोर्स संचालन हत सम्बन्धता प्रदान की जाती है।

विश्वासमानजन

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना-17

आपक :
प्रतिक्रिया :

दि. 05.05.2018 / 2018

पटना, दिनांक 10/05/2018

राष्ट्रीय निदेशक ERC, NCTE क्षेत्रीय कार्यालय, गोकुल नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर, पटना / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना / निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना / अध्यक्ष के आका सचिव एवं सचिव के आका सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना-17

आपक :
प्रतिक्रिया :

दि. 05.05.2018 / 2018

पटना, दिनांक 10/05/2018

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना-17 को सूचनाार्थ प्रेषित।

Akshay

Principal

College Teachers Training College, Mahanagar

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना-17